



प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY)

इतिहास

- व्यापक फसल बीमा योजना (सीसीआईएस): 1985-99
- राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (NAIS): रबी 1999-2000 से खरीफ 2013 में शुरू हुई (लेकिन कुछ राज्यों को रबी 2015-16 तक जारी रखने की अनुमति दी गई)
- संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना: रबी 2010-11 शुरू
- पायलट मौसम आधारित फसल बीमा योजना (डब्ल्यूबीसीआईएस): 2007-08 शुरू
- पायलट नारियल पाम बीमा योजना (सीपीआईएस): 2009
- मौजूदा NAIS, MNAIS, WBCIS और सीपीआईएस को एक केंद्रीय क्षेत्र योजना "राष्ट्रीय फसल बीमा कार्यक्रम (NCIP)/राष्ट्रीय Fasal बीमा कार्यक्रम (RFBK) के तहत विलय कर दिया गया था।
- एनसीआईपी की शुरुआत रबी 2013-14 से हुई थी।
- एनएसआईपी/एनएस की हाल ही में समीक्षा की गई है और खरीफ 2016 के मौसम से कार्यान्वयन के लिए एमएनआईएस/एनआईएस के स्थान पर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) नाम से एक नई योजना को मंजूरी दी गई है।

घटनायें

घोषणा की गई: 18 फरवरी 2016
चालू की गई 01.04.2016

वेब पोर्टल

राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल (www.pmfby.gov.in)



जोखिम कवरेज	<ul style="list-style-type: none">➤ इस योजना के तहत मूल आवरण में खड़ी फसल (कटाई से बुआई तक) को उपज के नुकसान का खतरा शामिल है।➤ सूखा, शुष्क मंत्र, बाढ़, जलभराव, व्यापक फैलाव कीट और रोग हमला, भूस्खलन, बिजली, तूफान, ओलावृष्टि और चक्रवात के कारण प्राकृतिक आग जैसे गैर-रोके जोखिमों के कारण क्षेत्र आधारित दृष्टिकोण के आधार पर उपज के नुकसान को कवर करने के लिए यह व्यापक जोखिम बीमा प्रदान किया जाता है।
ऐड-ऑन रिस्क कवरेज (राज्य सरकार की पसंद के आधार पर)	<ul style="list-style-type: none">➤ बुवाई/पोधरोपण/अंकुरण जोखिम को रोकना।➤ मध्य मौसम विपरीत परिस्थितियों➤ फसल के बाद नुकसान➤ स्थानीयकृत आपदाएं➤ जंगली जानवरों द्वारा हमला
अनिवार्य दस्तावेज	आधार कार्ड, बैंक पासबुक, भू-अभिलेख/किरायेदारी समझौता, और स्व-घोषणा प्रमाण पत्र
बीमा कंपनियां	कुल: बीमा कंपनियों को 18 टेंडर का प्रदान अनिवार्य रूप से 3 वर्ष के लिए होगा।
पीएमएफबीवाई के तहत कवर किए गए पोस्ट-हार्वेस्ट नुकसान	<ul style="list-style-type: none">➤ कटाई की तारीख से 14 दिन➤ ओलावृष्टि, चक्रवात, चक्रवाती बारिश, बेमौसम बारिश
दावा ट्रांसफर मोड	डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर (डीबीटी)
ब्याज दें	बीमा कंपनी को सेटलमेंट क्लेम में देरी के लिए प्रतिवर्ष 12% ब्याज दर का भुगतान करना पड़ता है।
प्रीमियम सब्सिडी शेयरिंग पैटर्न	<ul style="list-style-type: none">➤ केंद्र और पूर्वोत्तर राज्यों के बीच- 90:10➤ शेष राज्य- 50:50
2018-19 के दौरान प्रीमियम सब्सिडी का उपयोग किया गया	<ul style="list-style-type: none">➤ किसानों की हिस्सेदारी- 4,855 करोड़➤ जीओआई की हिस्सेदारी- 11,909 करोड़➤ राज्य की हिस्सेदारी- 12055 करोड़➤ ग्रॉस प्रीमियम- 28820 करोड़